



राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,

कार्यालय परिसर, ब्लॉक नं.ए-4, गौतम नगर,

भोपाल - 462 023.

दूरभाष नं. 0755-2583627 / 2583673 फैक्स नं. 2583656

कर्मोंक/रागाप्रौवि/शैक्ष/19/2209

/भोपाल, दिनांक 08/11/2019

प्राचार्य,
समस्त सह शिक्षा/महिला पोली./अंशकालीन/
निजी तकनीकी संस्थाएं (पोली.) तथा फार्मसी संस्थाएं
म.प्र.

विषय:- पोली0/फार्मसी महाविद्यालयों के वर्ष 2013-14 में प्रवेशित विद्यार्थियों को अनुकम्पा अवसर प्रदान करने
विषयक ।

संदर्भ :- विश्वविद्यालय का परिपत्र कर्मोंक/रागाप्रौवि/शैक्ष/17/686, दिनांक 18.05.17

000

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें ।

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल की अधिसूचना कर्मोंक एफ-5/रागाप्रौवि/शैक्षणिक/2011/1569 दिनांक 28.03.2011 के अनुसार विश्वविद्यालय के अधिनियम-12 परीक्षा(सामान्य)में उल्लेखित पैरा कर्मोंक 24.1.4 में किये गये संशोधन उपरांत अध्यादेश कमांक 12 "Examination (General)" के पैरा कमांक 24.1.4 में किये गये संशोधन के अनुसार निम्नानुसार निर्धारित है:- " A candidate fails to complete the PG/UG/Diploma course in the maximum duration of the course, as specified in concerned Ordinance, can avail the facility of one mercy attempt, by submitting the application from (as prescribed by University) within one year after the maximum duration of the course (in continuation of the Academic year). The number of subjects should not be more than ten (Five Theory & Five Practicals). All application forms will be scrutinized by a committee consisting of (1) Kulpati (2) Two Executive Council Members- nominated by Kulpati (3) Dean of the concerning faculty & (4) one professor of the concerning subject. The committee will scrutinize the application forms & submit their report to Kulpati. On the recommendation of the Committee, the Kulpati may permit the applicant to avail the one mercy attempt facility. If a candidate fails to complete the PG/UG/Diploma course after availing one mercy attempt, he/she will not be eligible to appear in any university examination in future."

प्रदेश के सहशिक्षा/महिला पोली./अंशकालीन/निजी तकनीकी संस्थाओं(पोली.) तथा फार्मसी महाविद्यालयों में संचालित पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों में वर्ष 2013-14 में प्रवेशित विद्यार्थियों को एक अनुकम्पा अवसर प्रदान करने की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

प्रवेश वर्ष/ रोल नं. सीरीज	अनुकम्पा अवसर की पात्रता	निर्धारित समयावधि की अंतिम परीक्षा का माह एवं वर्ष तथा एक अनुकम्पा अवसर प्रदान करने का माह एवं वर्ष)					फार्मसी (द्विवर्षीय)
		द्विवर्षीय	त्रिवर्षीय	चार वर्षीय	अंशकालीन (चार वर्षीय)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.
2013-14 में प्रवेशित विद्यार्थी जिनका रोल नं. बारह सीरीज से प्रारंभ है ।	अंतिम परीक्षा का माह विद्यार्थी केवल दर्शित दोनों परीक्षाओं में से किसी एक परीक्षा में अधिकतम 10 विषयो अर्थात् (05 थ्योरी एवं 05 प्रायोगिक) के साथ बैठकर अनुकम्पा अवसर प्राप्त कर सकता है ।	जून,17	जून,19	जून,20	A	B	अगस्त,17
		दिस.17/ जून,18	दिस.19/ जून,20	दिस. 20/ जून,21	जून,20	दिस. 20/ जून,21	

कमश:.....2/-कृ0पृ0उ0

उक्त आशय की सूचना सम्बन्धित विद्यार्थियों को देवे तथा महाविद्यालय के सूचना पटल पर विद्यार्थियों के सूचनार्थ चस्पा करें ।

सचिव

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,

भोपाल

भोपाल, दिनांक

पृ०कमॉक / रागांप्रौविवि / शैक्ष / 19 /

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव माननीय कुलपति महोदय, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी वि.वि., गांधी नगर, भोपाल ।
2. संचालक तकनीकी शिक्षा सतपुड़ा भवन भोपाल
3. सभी अधिकारी राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय डिप्लोमा विंग भोपाल ।
4. प्रभारी अधिकारी परीक्षा, की ओर इस अनुरोध के साथ अग्रेषित है कि अध्यादेश कमांक 12 "Examination (General)" के पैरा कमांक 24.1.4 में किये गये संशोधन अनुसार वर्ष 2012-13 में प्रवेशित डिप्लोमा विद्यार्थियों को एक अनुकम्पा अवसर की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्धारित की गई प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की जाकर आगामी कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें ।
5. सीईओ, किप्स, श्यामलाहिल्स, भोपाल ।
6. अधीक्षक, परीक्षा एवं अनुविभाग के गुप प्रभारी, गुप ए बी सी डी ई तथा एफ । की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल